

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

क्र. गुंन 70/15 फर्द अहकाम तारीख 22/10.8.15

उपनाम — सोदाबाई बनाम रामखे लाड़ी केसे  
दावा बाबत - तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

वादी की ओर से श्री सुनील कुमार जिन्दल Adv. ने दावा  
बाबत तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया। शपथ  
पत्र व अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया। दावा  
दर्ज कर रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन  
ले तलाब कर पत्रावली दिनांक 18.8.15 को पेश  
हो।

उप जिला कलक्टर  
टोडाभीम (करोली)

2081-91  
10.8.15

18/9/15 वादी वकील उपो/ प्रतिवादी नं. 2,3 की ओर से श्री राधा  
रमण शर्मा Adv. ने उपस्थित दर्ज कराए वकालतनामा  
पेश करने सत्रप चारा। प्रतिवादी नं. 1, 4, 5, 6, 7, 8 स्वयं  
उपस्थित। जबकि पेश करने सत्रप चारा। प्रतिवादी नं.  
10 की ओर से श्री रामशरणी गुहा Adv. ने भी पेश व  
वकालतनामा पेश करने सत्रप चारा। प्रतिवादी नं. 9 का सत्रप  
वापिस प्रहा नहीं हुआ अ प्रतिवादी नं. 11 का सत्रप  
उपस्थित नहीं है। शतः उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्य  
शारी की जाती है पेश करने वकालतनामा एवं जबर  
दिनांक 28.10.15 को पेश हो।

रामखे लाड़ी  
वकील  
R. B. S. Lamma  
Adv.)  
28/10/15  
215 00  
उप जिला  
कलक्टर  
टोडाभीम  
करोली

28/10/15

वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी करोली पीठ  
है। गवानुसार दिनांक 10.12.15 को पेश हो।

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

13-1) वकूलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी मीटिंग में  
कौली पधार है। अतः पत्रावली गतानुसार  
दिनांक 2.4.17 को पेश हो।

14-1) वकूलाय उप/गतानुसार कस्ते जब्ब दि. 28.4.17 को पेश  
हो।

15-1) वकूलाय उप/गतानुसार जब्ब पेश करने एकमौख  
में जाहा/एकमौख देवर पत्रावली न्याय आपके हए  
कैम्प कदावत में दिनांक 15.6.17 को पेश हो।

15-6-17 पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर कदावत  
में पेश हुई। आईन्दा दिनांक 18.7.17 को पेश हो चुनएचः अतिवादी नं. 12.8  
की ओरसे जब्ब दावा पेश किया। जब्ब की नफल शर्दी  
वकील को दिलाई। कस्ते कमपी तनकीपात दिनांक 18.7.17  
को पेश हो।

18.7.17 वकूलाय उप/ वादी जनर्याम उपस्थित। वादी एवं  
वादी वकील ने कथन किया कि वादी इब रस मुकदमे  
को हागे खाताता नहीं पाहते हैं। तथा यह मुकदमा  
खारिज कर दिया जावे। तथा वादी एवं वादी वकील ने  
हागे द्वारा यह Not Press किया है। अतः यह सब  
Not Press किये जाने से खारिज किया जाता है।  
पत्रावली फैसल सुमार हो क नम्बर से कम हो क  
दाखिल दफतर हो।

जगदीश आर्य  
उपजिला कलक्टर  
टोडाभीम

Not Press  
मेरा मुकदमा  
खारीज  
कर दिया जाये  
जनर्याम पत्रावली  
Adm